लॉन्ग डे केयर में प्री-स्कूल फ़ीस में राहत

2023 की शुरुआत से, न्यू साउथ वेल्ज़ सरकार 4 वर्षों में $1.3 बिलियन (1 अरब 30 करोड़) का ऐतिहासिक निवेश कर रही है जिससे ऐसे परिवारों को फ़ीस में राहत दी जाएगी, जिनके बच्चे प्री-स्कूल में हैं।

इसका अर्थ है कि यदि आपका बच्चा 31 जुलाई 2023 को या उससे पहले चार साल का हो जाता है, तो आपको फ़ीस में $2,110 तक की राहत मिलेगी।

फ़ीस की यह राहत, 'स्टार्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग डे केयर 2023 कार्यक्रम' में 'लॉन्ग डे केयर सेवाओं' के माध्यम से परिवारों के लिए उपलब्ध है।

फ़ीस की यह राहत आपको आपकी 'लॉन्ग डे केयर' सेवा, कम की गई साप्ताहिक सत्र की फ़ीस या गैप फ़ीस (चाइल्ड केयर सब्सिडी लागू होने के बाद) के रूप में देगी, जो उस कैलेंडर वर्ष में उस सेवा के कामकाजी सप्ताहों की कुल संख्या में आवंटित होगी। यह कटौती आपको सेवा की ओर से मिलने वाले एक नियमित इन्वॉइस (चालान) या स्टेटमैंट (विवरण) में दिखाई जाएगी।

यह शुल्क राहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा प्रदान किए गए आपके चाइल्ड केयर सब्सिडी भुगतानों के अतिरिक्त है और इसके मिलने से सब्सिडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह फ़ीस साधन-जाँच आधारित (means tested) नहीं है।

चाइल्ड केयर सब्सिडी और फ़ीस वाली राहत लागू होने के बाद बाकी बची गैप फ़ीस का भुगतान आपको करना होगा।

NSW GOVERNMENT

यदि मेरा बच्चा वर्ष के दौरान किसी समय शुरू करता है तो क्या होगा?

यदि आपका बच्चा वर्ष के दौरान किसी समय शुरू करता है, तो आपकी साप्ताहिक फ़ीस की कटौती में कुछ भी बदलाव नहीं आता है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि सेवाओं के लिए ऐसा करना अनिवार्य है कि फ़ीस में दी जाने वाली राहत को उतने सप्ताहों में आवंटित कर दें जितने सप्ताह वे खुले रहते हैं और उन्हें फ़ीस राहत को प्रत्येक बच्चे के अनुसार साप्ताहिक फ़ीस में कटौती के रूप में लागू करना होता है।

> उदाहरण के लिए: यदि कोई केंद्र वर्ष में 50 सप्ताह खुला रहता है, तो वे प्रत्येक सप्ताह $42.20 तक की फ़ीस राहत देंगे।

यदि आपका बच्चा जून में लॉन्ग डे केयर सेवा में नामांकन करता है, तो आपको उस सप्ताह से $42.20 तक की फ़ीस राहत प्राप्त होगी, जिस सप्ताह से आपके बच्चे का नामांकन लॉन्ग डे केयर सेवा में हुआ है।

यदि मेरा बच्चा बीमार है और उस दिन सेवा में शामिल नहीं होता है तो क्या होगा?

यदि आपका बच्चा बीमार है और अपने किसी नामांकित दिन को उपस्थित नहीं होता है, तो आपकी साप्ताहिक फ़ीस राहत राशि में कोई बदलाव नहीं होगा।

आप अभी भी अपनी सेवा से कम की गई फ़ीस प्राप्त करेंगे।

फ़ीस में दी जाने वाली राहत नामांकन से संबंधित होती है, उपस्थिति से नहीं।

फ़ीस राहत प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी?

फ़ीस राहत प्राप्त करने के लिए, आपको एक घोषणा और सहमति फॉर्म भरना होगा और आपकी सेवा आपको ऐसा करने में मदद करेगी। आपको अपनी सेवा को सहमति देनी होगी कि वे आपके बच्चे की कुछ जानकारी न्यू साउथ वेल्ज़ शिक्षा विभाग और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ साझा कर सकते हैं।

इन विवरणों में आपके बच्चे का नाम, जन्म तिथि और बच्चे का नामांकन आईडी शामिल हैं।

आपकी सेवा आपको एक घोषणा और सहमति फॉर्म प्रदान करेगी जो बताती है कि कौन से विवरणों की आवश्यकता है और जानकारी का उपयोग कैसे किया जाएगा।

क्या मुझे एक से अधिक प्रीस्कूल सेवा से फ़ीस राहत मिल सकती है?

नहीं, आप किसी एक समय में, केवल एक सेवा से ही राहत प्राप्ति कर सकते/ती हैं।

इसका अर्थ है कि यदि आपका बच्चा किसी अन्य लॉन्ग डे केयर सेवा या सामुदायिक प्रीस्कूल में, प्रीस्कूल कार्यक्रम में उपस्थित होता है, तो आपको यह नामांकित करना होगा कि आप किस सेवा से फ़ीस में राहत लेना चाहते/ती हैं। आपको सहमति फॉर्म की एक घोषणा को पूरा करना होगा और आपकी सेवा इसमें आपकी सहायता करेगा।

मुझे और अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है?

फ़ीस में राहत आप तक कैसे पहुंचाई जा रही है, बेहतर तरीके से इसे समझने के लिए अपनी सेवा से बात करें।

राहत के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें **www.education.nsw.gov.au/startstrong**

हमें **1800 619 113** पर संपर्क करें, या **ececd@det.nsw.edu.au** पर ईमेल करें।